राजस्थान सरकार
नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक प.3(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक : 15 FEB 2013

1. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
2. उप निदेशक(क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, (समस्त) राजस्थान।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम, (समस्त) राजस्थान।
5. वरिष्ठ नगर नियोजक, (समस्त) राजस्थान।
6. आयुक्त, नगर परिषद (समस्त) राजस्थान।
7. अधिशाषी अधिकारी,नगर पालिका मण्डल (समस्त) राजस्थान।

विषय :— "प्रशासन शहरों के संग अभियान—2012" में आवेदन पत्र लिये जाने हेतु।

विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 17.10.2012 एवं 26.12.2012 द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान के दौरान शिविर अवधि दिनांक 25.12.2012 से दिनांक 15.02.2013 तक बढायी गयी थी और शिविर अवधि में आवेदन करने पर अभियान के लिए दी गयी शिथिलताओं का लाभ संबंधित को प्रदान किये जाने हेतु आदेश जारी किये गये थे।

विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की बैठक दिनांक 12.02.2013 में अब इस विषय में लिए गए निर्णयानुसार यह निर्देश दिये जाते हैं कि दिनांक 31.03.2013 तक अभियान के दौरान किये जा रहें कार्यों के आवेदन कार्यालयों में प्राप्त कर उनका निष्पादन अभियान की फोलोअप अवधि दिनांक 31.03.2013 तक सुनिश्चित किया जावें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 31.03.2013 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर भी दिनांक 31.03.2013 तक प्रदत्त शिथिलताऐं लागू होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है :—

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय,राजस्थान।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्वा.शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।
6. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
7. समस्त अधिकारीगण, नविवि।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
9. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(आर.के.पारीक)
संयुक्त शासन सचिव—द्वितीय